भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3745
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत लाभार्थी

3745. श्री असादुद्दीन ओवैसी:
श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के अंतर्गत वर्तमान में शामिल लाभार्थियों की राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है तथा विशेषकर दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं और पेंशन कवरेज को केवल 80 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तक सीमित करने का क्या औचित्य है;

(ग) आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को वर्तमान में कितनी पेंशन (पूर्ण आंकड़ों में) प्रदान की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगता पेंशन घटक में केन्द्र सरकार के अंशदान में वृद्धि करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अधिकतम संख्या 8.33 लाख है, जिसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) गंभीर/बहु-विकलांगता से ग्रस्त लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अधिकतम सीमा में दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर कोई वर्गीकरण या अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालाँकि, योजना के दिशानिर्देशों और निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार, दिव्यांग व्यक्तियों में से सबसे योग्य लाभार्थी की बेहतर ढंग से पहचान करने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है।

(ख): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत वर्ष 2009 में शुरू की गई आईजीएनडीपीएस योजना का सार्वभौमिक कवरेज नहीं हुआ है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिव्यांगजनों में से, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल श्रेणी के गंभीर या बहु-

दिव्यांगता वाले सबसे कमजोर वर्ग के व्यक्ति आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, उपलब्ध निधि की सीमा को देखते हुए, यदि अधिक योग्य लाभार्थी पाए जाते हैं तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास स्वयं के संसाधनों से उन्हें पेंशन देने का विकल्प भी है।

(ग): आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष की आयु के प्रत्येक लाभार्थी को ₹300/- प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक लाभार्थी को ₹500/- प्रति माह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के कम से कम बराबर राशि की टॉप-अप राशि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि लाभार्थियों को संतोषजनक सहायता मिल सके। वर्तमान में, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र दिव्यांगता पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी ₹200/- से ₹5700/- प्रति माह तक की टॉप-अप राशि जोड़ रहे हैं ।

(घ) और (ड) : 15 वीं वित्त आयोग की समयावधि (2021-26) में एनएसएपी योजनाओं को जारी रखने पर विचार करते समय, सरकार द्वारा योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी कवरेज और सहायता दर में संशोधन पर विचार किया गया था। हालाँकि, उपलब्ध वित्तीय स्थिति को देखते हुए, सरकार ने एनएसएपी योजनाओं को उसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया है।

आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत लाभार्थियों के संबंध में लोक सभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3745 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध

आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिकतम सीमा

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीएनडीपीएस
1	आंध्र प्रदेश	24412
2	बिहार	127100
3	छत्तीसगढ	32085
4	गोवा	466
5	गुजरात	20327
6	हरियाणा	16583
7	हिमाचल प्रदेश	853
8	झारखंड	26349
9	कर्नाटक	44825
10	केरल	19285
11	मध्य प्रदेश	101470
12	महाराष्ट्र	9322
13	ओडिशा	90283
14	पंजाब	5982
15	राजस्थान	30513
16	तमिलनाडु	64096
17	तेलंगाना	20578
18	उत्तर प्रदेश	85773
19	उत्तराखंड	2880
20	पश्चिम बंगाल	59941
उत्तर पूर्वी राज्य		
21	अरुणाचल प्रदेश	112
22	असम	34579

23	मणिपुर	1005
24	मेघालय	1558
25	मिजोरम	722
26	नागालैंड	1011
27	सिक्किम	457
28	त्रिपुरा	2131
संघ राज्य क्षेत्र		
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
30	चंडीगढ़	100
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	310
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4635
33	जम्मू और कश्मीर	2465
34	लद्दाख	219
35	लक्षद्वीप	51
36	पुदुचेरी	1271
	कुल	**833751**

*****